

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 429/एल 2018-71-00698/वि/नि/चार
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 23.8.2018

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय:-सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12-1/2007/1-3, दिनांक 5 मार्च, 2008 के अंतर्गत नियमित हुए शासकीय सेवकों को पेंशन की पात्रता के संबंध में

संदर्भ:-वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 79/एल 2017-04-00364/वित्त/नियम/चार, दिनांक 28.02.2018

वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 173/एल 2018-04-04169/वित्त/नियम/चार दिनांक 7.4.2018

वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 249/एफ 2018-04-04169/वित्त/नियम/चार दिनांक 26.05.2018


वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 26 मई, 2018 द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम, 1976 अथवा छत्तीसगढ़ (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम-1979, जो भी लागू हो, के अंतर्गत न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि हेतु पेंशन की पात्रता के लिये यह शर्त है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12-1/2007/1-3, दिनांक 5 मई, 2008 के अंतर्गत आकस्मिकता/कार्यभारित स्थापना अथवा नियमित स्थापना के पद पर किया गया हो। 2/ इस संबंध में राज्य शासन द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 16/1188/1/वेआप्र/89, दिनांक 9 जनवरी, 1990 के तहत दिनांक 1.1.1989 के पूर्व नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के प्रकरणों में भी वित्त निर्देश 30/2018 के अंतर्गत पेंशन की पात्रता होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती) 23/8/2018
संयुक्त सचिव

पृ. क्र. 430/एल 2018-71-00698/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 23.8.2018
प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
 2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
 3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
 4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
 5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
 6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, नया रायपुर
 7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
 8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
 9. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर
 10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
 11. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर
 12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
 13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
 14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
 15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
 16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
 17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
 18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
- को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु
19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु


(पूजा शुक्ला)
अवर सचिव